संख्याः बी–2–1561/दस–2010–2/
(पंचायती राज अनुभाग–3 की पत्रा.सं.–100(14)/20

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग –2 लखनऊ : दिनांकः 24 मई, 2010

विषयः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2010–2011 में व्यवस्थित वर्ष 2008–2009 के एरियर की धनराशि की जिला पंचायतों को स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–2011 में व्यवस्थित वर्ष 2008–2009 के एरियर की धनराशि की प्रथम किश्त रूपये 1123.918 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तेईस लाख इक्यानबे हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि संलग्न सूची मे अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

निकाय का नाम	धनराशि (लाख रूपये में)
जिला पंचायतें	1123.918

2– संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है ।

3– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:–

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, शासनादेश के साथ संलग्न सूची में सम्बन्धित जिले के सम्मुख कालम–3 में अंकित धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। आहरण हेतु जिला पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिल तैयार कर जिलाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा. ।

(2) नवसृजित जनपद कांशीरामनगर से सम्बन्धित जिला पंचायत की धनराशि जनपद एटा की धनराशि में शामिल है। अतः नवसृजित जनपद कांशीरामनगर के जिला पंचायत की धनराशि प्रस्तर–3(1) के अनुसार कोषागार, एटा से आहरित कर उनको उपलब्ध करायी जायेगी ।

(3) संस्तुति संख्या–67 के अन्तर्गत जिला पंचायतों को संकमित की जाने वाली धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत भाग सम्पत्तियों (सड़कों सहित) के अनुरक्षण पर व्यय किया जाये और इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा संकमित धनराशि का 10 प्रतिशत अंश अनुरक्षण हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

(4) संस्तुति संख्या–210 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सड़कों तथा परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि व्यय की गयी है तथा अपने सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, उपलब्ध कराने पर ही राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संकमण की जाने वाली राशि की द्वितीय किश्त वित्त विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

क्रमशः.....

gorkgsfc

(5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर जिला पंचायत द्वारा आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाये और सम्बन्धित कोष्ठक अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संक्षिप्त सूचना वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 एवं पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा ।

(7) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों का नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेतर– 200–अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्य के करों की शुद्ध आय में से अन्तरण–04–ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पुनरीक्षित धनराशि का अन्तरण –28–समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा ।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–1561(1)/दस–2010–2/10–तददिनांकित

प्रतिलिपि,निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उ0 प्र0,इलाहाबाद।
2 वित्त संसाधन (वित्त आयोग) उ0प्र0 शासन।
3 वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4 पंचायती राज अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन ।
5 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 5/117/2010–5/57/2010 दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में ।
9 उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
10 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11 निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, दसवा तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या : बी–2–1561/दस–2010–2/10 दिनाँक 24 मई, 2010 का संलग्नक

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वर्ष 2010–2011 में वर्ष 2008–2009 के एरियर की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	13.150
2	बागपत	7.643
3	गाजियाबाद	11.914
4	गौतमबुद्धनगर	4.945
5	बुलन्दशहर	17.196
6	सहारनपुर	18.769
7	मुजफ्फर नगर	22.478
8	आगरा	16.297
9	फिरोजाबाद	11.239
10	मथुरा	11.464
11	मैनपुरी	10.677
12	अलीगढ	17.084
13	महामायानगर	8.879
14	एटा	20.006
15	मुरादाबाद	21.467
16	ज्योतिबाफुलेनगर	9.216
17	रामपुर	11.127
18	बिजनौर	20.231
19	बरेली	19.781
20	बदायूं	20.455
21	शाहजहांपुर	16.297
22	पीलीभीत	10.790
23	लखनऊ	10.677
24	रायबरेली	23.490
25	सीतापुर	30.795
26	हरदोई	27.086
27	खीरी	24.726
28	उन्नाव	19.444
29	बस्ती	15.847
30	सिद्धार्थनगर	18.545
31	सन्त कबीर नगर	11.576
32	गोरखपुर	24.277
33	देवरिया	20.792
34	पडरौना (कुशीनगर)	23.490
35	महराजगंज	18.320

शासनादेश संख्या : बी–2–1561/दस–2010–2/10 दिनाँक 24 मई, 2010 का संलग्नक

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वर्ष 2010–2011 में वर्ष 2008–2009 के एरियर की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3
36	फैजाबाद	14.723
37	बाराबंकी	20.680
38	सुल्तानपुर	24.501
39	अम्बेडकर नगर	15.173
40	गोण्डा	21.017
41	बलरामपुर	13.037
42	बहराइच	19.893
43	श्रावस्ती	10.790
44	मिर्जापुर	17.758
45	संत रविदास नगर	9.666
46	सोनभद्र	14.836
47	वाराणसी	14.274
48	चन्दौली	13.150
49	गाजीपुर	24.164
50	जौनपुर	30.233
51	इलाहाबाद	31.245
52	कौशाम्बी	11.914
53	प्रतापगढ़	22.254
54	फतेहपुर	18.207
55	आजमगढ	32.144
56	मऊ	13.037
57	बलिया	21.467
58	कानपुर नगर	10.902
59	कानपुर देहात	11.576
60	फर्रूखाबाद	9.553
61	इटावा	8.991
62	कन्नौज	9.441
63	औरैया	9.104
64	झांसी	9.104
65	जालौन	10.228
66	ललितपुर	7.530
67	हमीरपुर	7.980
68	बांदा	11.801
69	चित्रकूट	7.980
70	महोबा	5.395
	महायोग	1123.918